59

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की दि0 27.10.2014 को आयोजित 17 वीं बोर्ड बैठक की कार्यवृत्त

UTTARAKHAND

UEPPCB

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
29/20 नेमी रोड़ डालनवाला
देहरादून

Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board
Head Office
Dehradun

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 17 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 27.10.2014 को "मन्थन सभागार" मुख्यालय उत्तराखण्ड वन विभाग, राजपुर रोड़, देहरादून में अध्यक्ष, **उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** की अध्यक्षता में सम्पन्न हुयी। बैठक में निम्न लिखित सदस्य उपस्थित थे

1. डा0 रणवीर सिंह, प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
2. श्री आर0 मीनाक्षीसुन्दरम, उपाध्यक्ष, एम.डी.डी.ए. देहरादून।
3. श्री हर्षवर्धन मिश्रा, अपर मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून। मुख्य नगर अधिकारी के प्रतिनिधि।
4. श्री ओमकार सिंह, उप सचिव शहरी विकास, (अपर सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के प्रतिनिधि)।
5. श्री वी.के. जैन, जी0एम0 (टैक्निकल आडिट) (मुख्य अभियन्ता उत्तराखण्ड पेयजल नियम के प्रतिनिधि)।
6. श्री पंकज गुप्ता, अध्यक्ष इण्डियन इण्डस्ट्रीज ऐसोसियेसन/ प्रतिनिधि उत्तराखण्ड चेम्बर आफ कामर्स।
7. श्री कुशलानन्द जोशी, वरिष्ठ अधिवक्ता देहरादून।
8. श्रीमती बीना बिष्ट, सभासद, नगर निगम, देहरादून।
9. श्री जगदीश धीमान, सभासद, नगर निगम, देहरादून।
10. श्री विनोद सिंघल, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

सर्वप्रथम **सदस्य सचिव** द्वारा बोर्ड में **अध्यक्ष** एवं सभी बोर्ड सदस्यों का स्वागत करते हुऐ **अध्यक्ष महोदय** की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक में प्रस्तावित कार्य सूची के बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मत से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

कार्य सूची मद सं0 -17.1

बोर्ड की 16वीं बैठक के कार्यवृत्त पर बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाना तथा बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन स्थिति से बोर्ड को अवगत कराया जाना।

बोर्ड की 16वीं बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया तथा बोर्ड बैठक में निम्न निर्देश दिये गयेः-

1. *सदस्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया की पूर्व में 16वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार "उत्तराखण्ड कानक्लेव" जो की राज्य रो सम्बन्धित पर्यावरणीय विषयों के सम्बन्ध में आयोजित किया जाना है, हेतु "टाइम्स आफ इण्डिया" ग्रुप के साथ मिलकर कार्य किया .जा रहा है। यथाशीघ्र "उत्तराखण्ड कानक्लेव" के आयोजन हेतु टाइम्स आफ इण्डिया के साथ तैयार कर कार्यवाही की रूपरेखा, अध्यक्ष महोदय के अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।*

2. *राज्य बोर्ड के कार्मिकों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोनन्यन (ACP) व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि राज्य बोर्ड के ढाचें को सुव्यवस्थित कर अनुमोदनार्थ उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित किया जाये तदोपरान्त ए0सी0पी0 पर निर्णय लिया जायेगा।*

3. *बोर्ड में कार्यरत दैनिक वेतन, कार्यप्रभारित, संविदा, नियत वेतन अंशकालीन तथा तदर्थ रूप में नियुक्त कार्मिकों को शासन द्वारा जारी **विनियमितीकरण नियमावली-2013** के अनुसार विनियमितीकरण का प्रस्ताव सम्बन्धी नोट सदस्य सचिव द्वारा पहले अध्यक्ष बोर्ड को प्रस्तुत किया जाये।*

Environment Protection & Pollution C...
Head Office
Dehradun

4. अध्यक्ष महोदय द्वारा बोर्ड के 16 वीं बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में सुझाव दिये गये कि ई0सी0 रोड को Green Road की तर्ज पर विकसित किये जाने की कार्यवाही पर यथाशीघ्र कार्यवाही की जाये तथा ई0सी0रोड़ में सोलर लाईट के स्थान पर उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन द्वारा रोड़ लाइट हेतु विद्युत आपूर्ति मुहया करायी जाये।
5. उत्तराखण्ड राज्य हेतु "स्टेट आफ एन्वायरनमेंट" रिर्पोट बनाये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि बोर्ड के सदस्य सचिव नई दिल्ली स्थित दि एनेरजी रिसर्च इंस्ट्रीट्यूट (TERI) से "स्टेट आफ इन्वायरोमेन्ट" रिर्पोट बनाये जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श कर स्किोप आफ वर्क, रिपोर्ट तैयार किये जाने में आने वाले व्यय आदि पर चर्चा कर लें। तदोपरान्त प्रस्ताव तैयार कर उत्तराखण्ड शासन से उत्तराखण्ड प्रोक्यूरमेन्ट रूल्स के अन्तर्गत कार्यवाही करने में छूट प्रदान करने का आग्रह किया जाये।

कार्य सूची मद सं0 -17.2

राज्य बोर्ड के 16वीं बैठक के बिन्दु संख्या 16.9 के अनुसार बोर्ड के संशोधित ढांचे को बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाना।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा प्रस्ताव को उत्तराखण्ड शासन के अनुमोदन हेतु प्रेषित करने का निर्देश दिया गया।

कार्य सूची मद सं0 - 17.3

दून घाटी अधिनियम-1989 के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में हरित श्रेणी के उद्योगों को तीन वर्ष हेतु संचालनार्थ संयुक्त सहमति एवं प्राधिकार (CCA) निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

*बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा सर्वसम्मति से दून घाटी क्षेत्र में **"हरित श्रेणी"** के उद्योगों से तीन वर्षो के शुल्क के साथ संयुक्त सहमति एवं प्राधिकार निर्गत किये जाने का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।*

कार्य सूची मद सं0 - 17.4

बिना स्थापनार्थ सहमति एवं संचालानार्थ सहमति के संचालित होने वाले उद्योगों द्वारा संचालन के उपरान्त सहमति हेतु आवेदन करने पर बोर्ड द्वारा कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया की स्थापनार्थ सहमति न लेने वाले स्थापित उद्योगो की पर्यावरणीय दृष्टि से स्थल उपयुक्त होने एवं सभी प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाऐं स्थापित होने की दशा में प्रारम्भिक शुल्क तथा उत्पादन की तिथि से एक वर्ष पूर्व से प्रारम्भिक शुल्क पर 10.00 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि व्यांज की दर से आवेदन करना होगा। शुल्क की दर, यदि इस बीच बढ़ी हो, तो नवीतम दर पर आगणन किया जाएगा। उक्तानुसार आवदेन प्राप्त होने पर ही बोर्ड द्वारा प्रकरण पर विचार किया जायेगा। उद्योगों को जल/वायु सहमति एवं प्राधिकार संयुक्त रूप से सी0टी0ई0-सी0सी0ए0 निर्गत किया जायेगा। संचालनार्थ सहमति प्राप्त किये बिना संचालित उद्योगो को संचालन की तिथि से प्रत्तेक वर्ष का प्रारम्भिक शुल्क सहित 10.00 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आवेदन करना होगा। शुल्क की दर यदि इस बीच बढ़ी हो, तो नवीतम दर पर आगणन किया जायेगा। तदोपरान्त बोर्ड द्वारा सहमति निर्गत की जाएगी। किन्तु हरित श्रेणी के उद्योगों पर मात्र 10.00 प्रतिशत साधारण ब्याज लिये जाने का निर्णय लिया गया।

Environment Protection & Pollution Control ... Head Office Dehradun

कार्य सूची मद सं0 – 17.5

उद्योगों को पर्यावरणीय अधिनियमों के उल्लंघन के पश्चात निर्गत किये जाने वाले कारण बताओ नोटिस के उपरान्त उद्योग से यथाशीघ्र अनुपालन बोर्ड को प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

बोर्ड के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया तथा निर्णय लिया गया कि कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित बिन्दुओं के अनुपालन हेतु सम्बन्धित उद्योगो को मात्र 30 दिनों का समय दिया जाये। उक्त अवधि में अनुपालन न करने की दशा में उद्योगों के विरूद्ध पर्यावरणीय नियमों के अनुसार बन्दी की कार्यवाही की जाये। प्रस्ताव के अनुसार उपरोक्त प्रकार के उद्योगों से बैंक गारन्टी लिए जाने के प्रस्ताव को सदस्यों द्वारा अस्वीकृत किया गया।

....

कार्य सूची मद सं0 – 17.6

बोर्ड की वर्ष 2013-14 के वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड सदस्यों द्वारा बोर्ड की वार्षिक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया तथा रिपोर्ट को प्रकाशित किए जाने हेतु अनुमोदित किया गया।

....

कार्य सूची मद सं0 – 17.7

बोर्ड में सहमति शुल्क एवं अन्य शुल्कों को आन लाईन पेमन्ट गेटवे की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड के सदस्यों द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया तथा इस शर्त के साथ प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया कि बोर्ड में 31 मार्च 2015 तक उक्त व्यवस्था के साथ-साथ वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था को भी लागू रखा जाये। यदि किसी कारणवश उक्त व्यवस्था में अग्रेतर समय की आवश्यकता हो तो अध्यक्ष महोदय से अग्रिम समय हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाये।

....

कार्य सूची मद सं0 – 17.8

बोर्ड कार्मिकों के चिकित्सीय प्रतिपूर्ति हेतु बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा श्री अमरजीत सिंह, पर्यावरण अधिकारी के चिकित्सीय प्रतिपूर्ति सम्बन्धी प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा सर्वसम्मति से प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

....

कार्य सूची मद सं0 – 17.9

ई0पी0एफ0 द्वारा विभिन्न मदों में चार्ज किये रू0 2.22 लाख की धनराशि को जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन दिया गया।

....

कार्य सूची मद सं0 – 17.10

बोर्ड में अर्जित आय से देय आयकर की छूट प्राप्त करने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा अर्जित आय पर आयकर में छूट प्राप्ति की कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया तथा बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिया गया कि उक्त कार्य हेतु अध्यक्ष, बोर्ड के अनुमोदन से "आयकर विशेषज्ञ" की सेवायें प्राप्त की जाये।

....

Environment Protection & Pollution Co...
Head Office
Dehradun

(55)

कार्य सूची मद सं0 - 17.11

निविदाएं एवं लोक सुनवाई के विज्ञापन के अधिकार सदस्य सचिव को अधिकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा सर्वसम्मति से निविदा एवं लोक सुनवाई के विज्ञापन हेतु सदस्य सचिव को डी0ए0बी0पी0 दरों पर रू0 75000/- तक का वित्तीय अधिकार दिये जाने का अनुमोदन किया गया।

कार्य सूची मद सं0 - 17.12

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण परिषद सेवा विनियमावली 1995 में बोर्ड के कार्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया एवं सर्वसम्मति से बोर्ड अधिकारियों एवं कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु निम्न अनुसार प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया।

1. *अध्यक्ष - प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के स्थानान्तरण।*
2. *सदस्य सचिव,- तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों के स्थानान्तरण।*

कार्य सूची मद सं0 - 17.13

गोकुल हिमालयन वैलफैयर सोसाइटी द्वारा ऋषिकेश एवं स्वर्गाश्रम क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट एवं घरेलू उत्प्रवाह के प्रबन्धन के सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव।

बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा निर्णय लिया गया कि प्रस्ताव के उल्लेखित सभी बिन्दूओ का अध्ययन कर प्रस्ताव पर Uttrakhand Procurement Rules *के प्राविधानों के अनुरूप टिप्पणी अध्यक्ष महोदय को प्रस्तुत की जाये। अध्यक्ष राज्य बोर्ड द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि पर्यावरणीय जनजागरुकता हेतु स्वंयसेवी संस्थाओं/ रेजिडन्ट वैलफियर एसोशिसेन, तथा एन0जी0ओ0 के लिये स्कीम भी बनायी जाये तथा अध्यक्ष महोदय, के अनुमोदन के उपरान्त कार्यवाही की जाये।*

कार्य सूची मद सं0 - 17.14

अन्य विन्दू मा0 अध्यक्ष, बोर्ड की अनुमति से

1. *उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश के क्रम में लिपिकीय कर्मचारियों की भांति राज्य बोर्ड में कार्यरत लिपिकीय संवर्ग के कार्मिकों के पद नाम, एव ग्रेड पे वेतन में संशोधन के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।*

2. *बोर्ड बैठक में शहरों में ठोस अपशिष्टों को जलाए जाने के सम्बन्ध में विचार विमर्श किया गया तथा निर्णय लिया गया कि बोर्ड में एक टीम गठित कर सभी नगर निकायों में औचक निरिक्षण कर यह पता लगाया जायें कि किन-किन क्षेत्रों मे नगरीय ठोस अपशिष्टो को जलाया जा रहा है उक्त क्षेत्रो का विवरण एवं फोटोग्राफ तैयार कर सम्बधित नगर निकायों को विधिक नोटिस भेजा जाय। तदोपरान्त नगर निकायों के विरूद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज किये जाने की कार्यवाही की जाये। इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों के माध्यम से भी कूड़े को जलाने पर की जाने वाली कार्यवाही की चेतावनी सभी नगर निकाय क्षेत्रों में प्रकाशित की जाए।*

3. *बोर्ड के सदस्य श्री कुशलानन्द जोशी द्वारा सुझाव दिया गया कि जैव चिकित्सा अपशिष्टो के सुचारू प्रबन्धन हेतु बोर्ड को स्वास्थ्य विभाग से भी विचार विमर्श करना चाहिए जिसे स्वीकार किया गया।*

Environment Protection & Pollution Control
Head Office
Dehradun

54

अन्त में सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यो का आभार व्यक्त करते हुए अध्यक्ष महोदय की सहमति से बैठक का समापन किया गया।

24/12/2014

(विनोद सिंघल)
सदस्य सचिव
उत्तराखण्ड पर्यावरण सरंक्षण
एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

(डा0 रणवीर सिंह)
अध्यक्ष
उत्तराखण्ड पर्यावरण सरंक्षण
एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,

Uttarakhand Environment Protection & Pollution Control Board
Head Office
Dehradun